भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3009

13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम

3009. श्री राजा राम सिंह:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के नियम 170 के संबंध में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) उत्पादों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के नियम 170 का उल्लंघन करने वाली कंपनियों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुष मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत उन कंपनियों के विरुद्ध कोई जुर्माना लगाया गया है, जिन्होंने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के नियम 170 का उल्लंघन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के नियम 170 का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) : आयुष मंत्रालय के दिनांक 01.07.2024 की राजपत्र अधिसूचना संख्या-जी.एस.आर .360 (अ (द्वारा आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड) एएसयूडीटीएबी (की सिफारिशों के आधार पर औषधि नियम, 1945 के नियम 170 का विलोप कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 27.08.2024 के अपने आदेश डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 645/2022 के माध्यम से अगले आदेशों तक औषधि नियम, 1945 के नियम 170 को विलोपित करने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगा दी है।

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों (एएसयूएंडएच) के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम के संबंध में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) उत्पादों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने संबंधी औषधि नियम, 1945 के नियम 170 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) : एएसयूएंडएच औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम, एआईआईए, नई दिल्ली और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन कंपनियों का विवरण जिन्होंने औषधि नियम, 1945 के नियम 170 का उल्लंघन किया है, **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ग) और (घ) : औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत कानूनी प्रावधानों का कार्यान्वयन और एएसयूएंडएच औषधियों से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियमों को लागू करने का अधिकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों में निहित है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, औषधि नियम, 1945 के नियम 170 का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/जुर्माने का विवरण **संलग्नक III** में दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

एएसयूएंडएच औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम, एआईआईए से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनवरी से अक्टूबर 2024 तक आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) उत्पादों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले औषधि नियम, 1945 के नियम 170 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	माह	विज्ञापनों की संख्या
1.	जनवरी-24	121
2.	फरवरी-24	129
3.	मार्च-24	130
4.	अप्रैल-24	4
5.	मई-24	67
6.	जून-24	52
7.	जुलाई-24	11
8.	अगस्त-24	0
9.	सितम्बर-24	3
10.	अक्टूबर-24	11

संलग्नक-II

एएसयूएंडएच औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम, एआईआईए और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनवरी से अक्टूबर 2024 तक कंपनी-वार उन कंपनियों का ब्यौरा, जिन्होंने औषधि नियम, 1945 के नियम 170 का उल्लंघन किया है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और अन्य का नाम**	**उन कंपनियों का विवरण जिन्होंने औषधि नियम, 1945 के नियम 170 का उल्लंघन किया है**
1.	एएसयूएंडएच औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम, एआईआईए (जनवरी से अक्टूबर 2024 तक ऑकड़े)	1) अमर प्रोडक्ट्स 2) अमृत नोनी प्रोडक्ट्स 3) डॉ. अस्मा हर्बल्स 4) बी.सी. हसाराम एंड संस 5) बैद्यनाथ 6) भार्गव 7) चारुत्भुज फार्मा 8) धूतपापेश्वर 9) दिविसा 10) डॉ दासन 11) डॉ. जुनेजा’स 12) डॉ. न्यूट्रिशियो 13) डॉ. थैंकी’ज 14) इमामी लिमिटेड 15) गाइनोवेदा 16) जगत फार्मा 17) जॉली फार्मेसी 18) कपिवा 19) तूलीसन फार्मा 20) कृष्णा हर्बल्स 21) ऑरिकेम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स 22) पंकजकस्तूरी हर्बल इंडिया 23) पतंजलि 24) राजवैद्य आयुर्वेद 25) सतऋषि हर्बल्स 26) एसबीएस बायो-टेक 27) शंकर फार्मेसी 28) श्री मारुति हर्बल्स 29) स्वर्णिम नेचर साइंस लिमिटेड 30) टेक्नो फार्मा 31) त्रिचप ब्रांड 32) डॉ. ट्रस्ट हेल्थकेयर 33) वेल ‘एन’ केयर 34) झंडू केयर 35) ज़ी फार्मास्यूटिकल्स 36) ज़ोकवेडा वेलनेस
2.	तमिलनाडु (2019)	1. मैसर्स पी गी फार्मा, सं. 2/143, शिवदापुरम, एस.ओ., सालेम 636 307 2. मैसर्स एन्सिएंट फार्मा, डोर नंबर 4/150, विराथनूर रोड, अय्यानरपुरम, पन्ईयूर पोस्ट, मदुरै -625009 3. मैसर्स शंकरालय हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 9, 10वीं क्रॉस स्ट्रीट, मंगलानगर, चेन्नई-116
3.	गुजरात (मई 2024-अक्टूबर 2024 तक)	1. डॉ. वशिष्ठ’ज आयु रेमेडी 2. सेठ ब्रदर्स 3. इमामी प्राईवेट लिमिटेड 4. वासु हेल्थकेयर वडोदरा 5. एस बी बायोटेक 6.विवान हर्बल्स, अहमदाबाद 7. श्री शंकर आयुर्वेदिक फार्मेसी, अहमदाबाद 8. श्रीजी रेमेडीज़, अहमदाबाद
4.	दिल्ली	मई 2020: 1. मैसर्स राजवैद्य शीतल प्रसाद एंड संस मई 2024 से अब तक: 1. मैसर्स सेंटलाइफ फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 2. मैसर्स डिविसा हर्बल्स प्रा. लिमिटेड 3. मैसर्स ट्रस्ट हेल्थ केयर

		4. मैसर्स एलन लेबोरेटरीज लिमिटेड 5. मैसर्स झंडू फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, 6. मैसर्स राजवैद्य शीतल प्रसाद एंड संस 7. मैसर्स ओरिएंटल केमिकल वर्क्स 8. मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड 9. मैसर्स श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन 10. मैसर्स न्यू रॉयल प्रोडक्ट्स 11. मैसर्स देहलवी रेमेडीज़ प्रा. लिमिटेड 12. मैसर्स अप्सरा हर्बल्स, 13. मैसर्स रेक्स रेमेडीज़ लिमिटेड 14. मैसर्स राहत हर्बल इंडस्ट्रीज 15. मैसर्स इमामी लिमिटेड 15. मैसर्स खोजाती लिमिटेड 16. मैसर्स विक्को लेबोरेटरीज 17. मैसर्स सना हर्बल्स (पी) लिमिटेड 18. मैसर्स हमदर्द लेबोरेटरीज (इंडिया) 19. मैसर्स देहलवी नेचुरल्स
5.	ओडिशा	शून्य
6.	केरल	शून्य
7.	कर्नाटक	शून्य
8.	मिजोरम	शून्य
9.	हरियाणा	शून्य
10.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
11.	झारखंड	शून्य
12.	असम	शून्य
13.	पश्चिम बंगाल	शून्य

संलग्नक-III

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, औषधि नियम, 1945 के नियम 170 का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और अन्य का नाम	कंपनियों के विरुद्ध जुर्माने/की गई कार्रवाई का विवरण

<table>
<tr><td>1.</td><td>तमिलनाडु</td><td>1. आस्था पावर टॉनिक कैप्सूल एंड क्रीम, मैसर्स पी गी फार्मा, सं. 2/143, शिवदापुरम, एस.ओ., सालेम 636 307 को झूठे दावे के साथ अवैध विज्ञापन के लिए एक महीने हेतु निलंबित कर दिया गया था।

2. झूठे दावे के साथ अवैध विज्ञापन के लिए मैसर्स बोरेक्सिन ऑइंटमेंट, एन्सिएंट फार्मा, डोर नंबर 4/150, विराथनूर रोड, अय्यानरपुरम, पनियूर पोस्ट, मदुरै- 625 009 का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था।

3. झूठे दावे के साथ अवैध विज्ञापन के लिए मैसर्स शंकरालय हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 9, 10 वीं क्रॉस स्ट्रीट, मंगलानगर, चेन्नई 116 के सेग्रो प्लस कैप्सूल, मुस्लीसेग्रो कैप्सूल और कामना कैप्सूल का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>गुजरात</td><td>निम्नलिखित कंपनियों को चेतावनी जारी की गई:

1. डॉ. वशिष्ठ्स के आयु रेमेडिस
2. सेठ ब्रदर्स
3. इमामी प्राइवेट लिमिटेड
4. वासुहेल्थकेयर, वडोदरा
5. एस बी बायोटेक
6 विवान हर्बल्स, अहमदाबाद
7. श्री शंकर आयुर्वेदिक फार्मेसी, अहमदाबाद

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए:
श्रीजी रेमेडीज़, अहमदाबाद</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>दिल्ली</td><td>कारण बताओ नोटिस, चेतावनियाँ और संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को सूचना देने के साथ-साथ आगे की आवश्यक कार्रवाइयां शुरू की गईं और कुछ मामलों में कानूनी राय भी मांगी गई है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>कर्नाटक (2019-आज तक)</td><td><table>
<tr><td>प्रखंड</td><td>औषधि नियम, 1945 के नियम 170 के उल्लंघन के लिए जारी नोटिसों की संख्या</td></tr>
<tr><td>कलबुर्गी</td><td>0</td></tr>
<tr><td>बेलगावी</td><td>143</td></tr>
<tr><td>मैसूर</td><td>280</td></tr>
<tr><td>बेंगलुरु</td><td>139</td></tr>
<tr><td>बेंगलुरु मुख्यालय</td><td>52</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>614</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ओडिशा</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>केरल</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>मिजोरम</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>हरियाणा</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>अरूणाचल प्रदेश</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>झारखंड</td><td>शून्य</td></tr>
</table>

11.	असम	शून्य
12.	पश्चिम बंगाल	शून्य